<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 05.02.21</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

<u>कोतवाली सदर पुलिस द्वारा ब्लाइंड मर्डर की घटना का सफलतापूर्वक किया गया अनावरण, 06 अभियुक्तों गिरफ्तार कर आलाकत्ल किया गया बरामद</u>

दिनांक 13.01.21 को थाना कोतवाली सदर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रसौरा मीरपुर निवासी प्रदीप कुमार का शव ग्राम मीरपुर के किनारे पड़ा मिला है। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। प्रकरण के संबंध में मृतक प्रदीप की पत्नी की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में सुनील कुमार पासी का नाम प्रकाश में आया जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए बताया गया कि दिनांक 12.01.21 की रात्रि को सुनील कुमार पासी के घर पर मृतक एवं अन्य कुछ लोग शराब पी रहे थे। शराब सेवन के पश्चात सुनील द्वारा सभी को अपने घर जाने के लिए कहा गया, जिस पर मृतक प्रदीप गाली गलौज करने लगा आपसी गाली गलौज बढ़ने पर सुनील ने अपने साथी नीरज वर्मा एवं बाबूराम के साथ मिलकर लात-घूंसे एवं लाठी से मार कर प्रदीप की हत्या कर दी। हत्या के पश्चात सुनील द्वारा अपने अन्य साथियों प्रहलाद, उमेश व बलवीर की सहायता से शव को वाहन की डिग्गी में रखकर नग्न अवस्था में गांव के उत्तर दिशा में रास्ते के किनारे डाल दिया गया। अभियुक्त सुनील पासी द्वारा बताया गया कि मृतक को नग्न अवस्था में करने का विचार टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल से आया जिससे पुलिस को हम लोगों पर संदेह न हो, ऐसा लगे कि घटना अवैध संबंध के कारण की गई है इसलिए मृतक प्रदीप के गुप्तांग को भी चोट पहुंचायी गई थी।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का विवरणः-

1.सुनील कुमार पासी पुत्र रामप्रसाद नि0 ग्रा0 मीरपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
2.नीरज वर्मा पुत्र स्व0 राजाराम वर्मा नि0 ग्रा0 मीरपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
3.बाबूराम पासी पुत्र मटरूलाल नि0 ग्रा0 मीरपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
4.प्रहलाद वर्मा पुत्र रघुवीर प्रसाद नि0 ग्रा0 मीरपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
5.उमेश कुमार वर्मा पुत्र सूरज प्रसाद नि0 ग्रा0 मीरपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
6.बलवीर पासी पुत्र रामप्रसाद नि0 ग्रा0 मीरपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।

बरामदगी का विवरणः

1. 01 अदद चाकू, 01 अदद आला कत्ल लगभग 03 फिट लम्बा लकडी का डन्डा व 01 अदद TUV कार (UP 31 BD 9337)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1.निरी0 अपराध चन्द्रभान यादव थाना कोतवाली सदर खीरी।
2.उ0नि0 उपेन्द्र सिंह भदौरिया चौकी प्रभारी रामापुर थाना कोतवाली सदर खीरी।
3.हे0का0 मनीष यादव थाना कोतवाली सदर खीरी।
4.हे0का0 विजय शर्मा थाना कोतवाली सदर खीरी।
5.का0 कौशलेन्द्र मिश्रा थाना कोतवाली सदर खीरी।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया, 02 हत्याभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02.02.21/03.02.21 की रात्रि में थाना ईसानगर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मिश्रनपुरवा रामलोक निवासी मुनेजर पुत्र सम्बारी की रात में अपने छप्पर में सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चेहरे पर वार करके हत्या कर दी गई है। सूचना पर थाना ईसानगर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। मृतक मुनेजर के भाई जगमोहन की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

विवेचना से यह प्रकाश में आया कि नामजद अभियुक्त निजामुद्दीन के द्वारा दिनांक 02/03.02.21 की रात्रि में मृतक मुनेजर के घर आकर बांका मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण निजामुद्दीन व मृतक की पत्नी के बीच अवैध संबंध का होना प्रकाश में आया है। घटना की रात्रि में मृतक की पत्नी द्वारा टटिया को हटाकर अभियुक्त निजामुद्दीन को अन्दर बुलाया गया था, जिसके उपरान्त अभियुक्त निजामुद्दीन द्वारा बांका मारकर मुनेजर की हत्या कर दी गई। अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल बांका बरामद कर लिया गया है।

विवरण अभियुक्तगण:-

1.निजामुद्दीन पुत्र पीरगुलाम निवासी मिश्रनपुरवा मजरा रामलोक थाना ईसानगर जिला खीरी
2.मीना देवी पत्नी मृतक मुनेजर निवासी मिश्रनपुरवा मजरा रामलोक थाना ईसानगर जिला खीरी

बरामदगी:-

1.एक अदद आला कत्ल बांका

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक हरिओम श्रीवास्तव थाना ईसानगर जिला खीरी
2.उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना ईसानगर जिला खीरी
3.उ0नि0 सतीश द्विवेदी थाना ईसानगर जिला खीरी
4.का0 धीरेन्द्रपाल सिहं थाना ईसानगर जिला खीरी
5.म0का0 अर्चना थाना ईसानगर जिला खीरी

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा 550 ग्राम नशीली सामग्री डोडा चूर्ण बरामद कर अभियुक्त सोमपाल सिंह उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थो के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.02.2021 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त सोमपाल सिंह उर्फ कल्लू पुत्र गुड्डू उर्फ धर्मेंद्र सिंह निवासी ग्राम नकारा थाना मैगलगंज जनपद खीरी को 550 ग्राम नशीली सामग्री डोडा चूर्ण के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मैगलगंज पर एनडीपीएस की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

थाना पसगवां द्वारा अपमिश्रित अवैध शराब बरामद कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

प्रेस नोट

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के आदेशानुसार अवैध शराब बिक्री व निष्कर्षण अभियान के अन्तर्गत थाना पसगवां पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 05.02.2021 को समय करीब 05.50 बजे ग्राम मढिया मे अभियुक्त कमलवीर उर्फ बोल्टू पुत्र मुरली नि0 ग्राम मढिया थाना पसगवां खीरी को उसके घर से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व मिलावट का सामान 500 ग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरणो के साथ मौके से गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 31/21 धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तः-

1.कमलवीर उर्फ बोल्टू पुत्र मुरली नि0 ग्राम मढिया थाना पसगवां जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्यो के नामः-

1.उ0नि0 राजेन्द्र यादव
2.हे0का0 लक्ष्मीकान्त वर्मा
3. का0 अमित कुमार
4. का0 शैशव कुमार

अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 469/19 धारा 504/506/332/353 भादवि थाना पसगवां खीरी
2.मु0अ0स0 102/20 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना पसगवां खीरी
3.मु0अ0स0 387/20 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना पसगवां खीरी
4.मु0अ0स0 31/21 धारा 272 भादवि व 60(2) आब0 अधि0 थाना पसगवां खीरी

थाना निघासन पुलिस द्वारा 02 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया

प्रेस नोट

कोतवाली निघासन, खीरी

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद स्तर पर चलाये जा रहे वारण्टी / वाछिंत / संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय निघासन के कुशल मार्गदर्शन में निघासन पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 05.02.2021 को दो नफर वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई हैं। वारंटी अभियुक्त रामेश्वर पुत्र इतवारी निवासी ग्राम झिन्नापुरवा थाना निघासन जनपद खीरी सम्बन्धित अ0सं0 5450/09 धारा 33 f act व 9/51 w act (वन्य जीव संरक्षण अधिनियम) को समय करीब सुबह 04.00 बजे घर से गिरफ्तार किया गया हैं व वारंटी अभियुक्त बारीराम पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम मुर्गहा थाना निघासन जनपद खीरी सम्बन्धित वाद संख्या 5587/2006 धारा 9/27/31/35(6)/51(1) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को समय करीब सुबह 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया हैं। दोनों वारंटी अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा हैं।

पुलिस पार्टी विवरण

1. उ0नि0 धर्मदास सिद्धार्थ
2. उ0नि0 निर्मलजीत यादव
3. हे0का0 गजेन्द्र सिंह
4. हे0का0 मनोज तिवारी
5. हे0का0 रवीन्द्र विहारी सिंह
6. हे0का0 जयप्रकाश यादव

थाना गोरीफंटा पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रुप से नेपाल को परिवहन करते हुए 48 बोतल बीयर सहित अभियुक्त सूरज राणा को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय को निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व परिवहन हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गोरीफंटा व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा गश्त करते हुए अवैध रुप से नेपाल को 48 बोतल बीयर का परिवहन करते हुए अभियुक्त सूरज राणा को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 5/21 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 33/21 धारा 147/149/302/201 भादवि व 3(2) एससी एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्तों 1. नीरज वर्मा पुत्र राजाराम वर्मा 2. सुनील कुमार पुत्र रामप्रसाद 3. बाबूराम पुत्र मटरुलाल 4. प्रहलाद वर्मा पुत्र रघुनीर प्रसाद 5. उमेश वर्मा पुत्र सूरज प्रसाद 6. बलवीर पुत्र राम प्रसाद नि0गण मीरपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>140 लीटर अवैध कच्ची शराब, 07 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार</u>** किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना धौरहरा	60 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना खीरी	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना नीमगांव	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना मोहम्मदी	12 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना कोतवाली सदर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना पलिया	08 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	140 लीटर	10 अभियुक्त गिरफ्तार